



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक : छस्वावितवि/प्रशा./2020/3004
प्रति,

भिलाई, दिनांक : 07/12/2020

प्राचार्य/डायरेक्टर
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
छस्वावितवि, भिलाई

विषय : छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-8 (Fees and Remuneration for Examination) में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ : राजभवन का पत्र क्रमांक 10373/2020/रास/यू-5/7354 रायपुर, दि. 03.12.2020।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-8 (Fees and Remuneration for Examination) में माननीया राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा निम्नानुसार संशोधन का अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

Clause no.	Description of existing clause	Clause after amendment
(H)	Fees for Enrollment/Immigration/Examination	
1.	Enrollment fees up to specified date	Rs. 100/- per student Enrollment fees/Registration fees Rs. 2500/- per student


New Clause is added

Clause no.	Description of New Clause	
(A)	University Development Fees	Rs. 500/- per year
	Student Welfare Fees	Rs. 1/- per year
(B)	Central Library Fees/E-Library/E-Learning Fees	Rs. 2000/- one time
(C)	Training and Placement Fees	Rs. 125/- per year

फीस में यह वृद्धि अकादमिक सत्र 2020-21 से प्रभावशील होगी।

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

माननीय कुलपति द्वारा अनुमोदित


7/12/2020

कुलसचिव

छस्वावितवि, भिलाई

प्रतिलिपि :

1. परीक्षा नियंत्रक, छस्वावितवि, भिलाई।
2. मुख्य वित्त अधिकारी, छस्वावितवि, भिलाई।
3. प्रभारी अधिकारी, प्रशासन/अकादमिक/इन्फोसेल छस्वावितवि, भिलाई।
4. समन्वयक, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, छस्वावितवि, भिलाई।
5. प्रोजेक्ट हेड, टी.सी.एस., छस्वावितवि, भिलाई।
6. निज सहायक मा. कुलपति।
7. मास्टर फाइल।